निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 236) पटना, बुधवार, 31 मार्च 2021

विधि विभाग

अधिसूचना
31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–10/2021–2154/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[fcgkj vf/kfu;e 11] 2021]

fcgkj jkT; fo'ofo|ky; lsok vk;ksx ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e 2021

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

iLrkouk%& चूँकि, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 14, 2017) एवं पटना विश्वविद्यालय संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 15, 2017) के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को शिक्षक श्रेणी में समाहित कर लिया गया है।

चूँकि, राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 अधिनियमित है।

अतः बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम में शिक्षक की परिभाषा के अन्तर्गत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को समाहित किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया जाना अनिवार्य है।

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1- laf{kIr uke] ,oa izkjEHk A&

(1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2- fcgkj vf/kfu;e 21] 2017 dh /kkjk 2 esa la'kks/kuA&

(1) बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 2 के खण्ड (vi) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :– "अध्यापक" से अभिप्रेत है विभाग, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्था या अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्य (प्रोफेसर), सह प्राचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर), सहायक प्राचार्य (एसिसटेंट प्रोफेसर) तथा प्रधानाचार्य;

(2) बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 2 में खण्ड (xiii) निम्न रूपेण जोड़ा जाएगा :– "(xiii)" प्रधानाचार्य से अभिप्रेत है कॉलेज का प्रधान;

पी०सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

---

31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–10/2021**&2155@ys t**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमत **fcgkj jkT; fo'ofo|ky; lsok vk;ksx ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e 2021 ¼fcgkj vf/kfu;e 11] 2021½** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
पी०सी० चौधरी,
ljdkj ds lfpoA

[Bihar Act 11, 2021]

Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2021

AN

ACT

To amend Bihar State University Service Commission Act, 2017 (Bihar Act 21, 2017)

Preamble— Whereas, Principal in the Universities of Bihar has been included in teacher category by Bihar State University (Amendment) Act, 2017 (Bihar Act 14, 2017) and Patna University (Amendment) Act, 2017 (Bihar Act 15, 2017).

Whereas, Bihar State University Service Commission Act 2017 have been enacted,

Therefore it is necessary to include Principal of the colleges in the Universities of Bihar as teacher under the Bihar State University Service Commission Act, 2017,

On the above mentioned facts, it is expedient to make amendments in the Bihar State University Service Commission, Act, 2017

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy second year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title and Commencement.—*

(1) This Act may be called The Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come in force from the date of its publication in the official gazette.

2. *Amendment in section 2 of Bihar Act 21, 2017—*

(1) Part (vi) of section 2 shall be substituted by the following :-

'Teacher' means, Professor, Associate Professor, Assistant Professor and Principal imparting instruction in department, college or institute maintained by the university or constituent college;

(2) A new part (xiii) shall be added in section (2) of Bihar Act 21, 2017 as follows :-

(xiii) "Principal" means, head of College,

P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 236-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in